# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन
17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 255128 फैक्स– 0755– 2555162,
**E-Mail : ceo_madhyapradesh@eci.gov.in, chiefelectoralofficermp@gmail.com**
**Website:ceomadhyapradesh.nic.in**

क्रमांक 20 / 2019 / चार / 4063 भोपाल, दिनांक 10.03.19

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
भोपाल

विषयः– लोक सभा निर्वाचन 2019 – चुनाव के दौरान पेट्रोल / डीजल की व्यवस्था

संदर्भ : भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस नोट क्रमांक ECI/PN/23/2019 दिनांक 10.3.2019

भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.3.2019 का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा लोाक सभा के सामान्य निर्वाचनों तथा 126–छिन्दवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है । प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है ।

प्रदेश में निर्वाचन 4 चरणों में कराये जाएंगें, जिनके लिए मतदान दिनांक 29.4.2019, दिनांक 6.5.2019, दिनांक 12.5.2019 एवं दिनांक 19.5.2019 को होगा।

चुनाव संचालन एवं शांति व्यवस्था के लिए वाहनों का बड़ी संख्या में उपयोग किया जाना है । चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके एजेटों द्वारा भी वाहन प्रयोग किये जावेंगे । अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल एवं 2 मई, 2019 से मतदान समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों के पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल एवं डीजल का समुचित प्रदाय सुनिश्चित करना जरूरी है ।

अतएव राज्य के समस्त पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए समुचित निर्देश जारी कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

10.3.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 20/2019/चार / 4064 भोपाल, दिनांक 10.03.19

प्रतिलिपिः

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

10.3.19

(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश